Research Paper IMPACT FACTOR VALUE : 5.983 | E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 11 | ISSUE : 6 | JUNE 2025

भारतीय राजव्यवस्था में सुशासन: स्वतंत्रता से वर्तमान तक

डॉ. मोहनी [1]

[1] **सहायक आचार्य, लोक प्रशासन(विद्या संबल योजना), राजकीय महाविद्यालय, मारवाड़ जंक्शन (पाली), राजस्थान.**

ABSTRACT:

भारत में सुशासन का विचार केवल एक प्रशासनिक शब्द नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारतीय संविधान ने नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा किया। परंतु इन आदर्शों को व्यवहार में उतारने की चुनौती बहुत बड़ी रही। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में शासन-प्रणाली मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित रही। लेकिन समय के साथ सुशासन को पारदर्शिता, जवाबदेही, सहभागिता और सेवा-उन्मुख प्रशासन से जोड़ा गया। भारत में सुशासन की यात्रा को कई पड़ावों में देखा जा सकता है। पंचायती राज की शुरुआत ने स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। 2005 में सूचना का अधिकार कानून ने नागरिकों को प्रशासन के प्रति जवाबदेही तय करने का सशक्त साधन बनाया। डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस ने सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराते हुए नागरिकों को पारदर्शिता एवं अन्य सुविधा दी। सरकार ने समय-समय पर सुशासन की स्थिति मापने के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया। 2021 की रिपोर्ट में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष राज्यों में रहे, जबकि उत्तर प्रदेश ने सुधार दिखाया। 2023 की रिपोर्ट हालांकि जारी नहीं हुई, लेकिन 2025 में नए संस्करण की तैयारी है। इसी बीच प्रशासन गाँव की ओर अभियान (दिसंबर, 2024) में 18,543 शिविरों के माध्यम से 10 लाख से अधिक शिकायतें और 1.5 करोड़ सेवाएँ निपटाना, यह दर्शाता है कि शिकायत-निवारण सुशासन का केंद्रीय अंग बन चुका है।

सुशासन की प्रगति का मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। स्वच्छता सर्वेक्षण जैसी पहलें नागरिक जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में सकारात्मक संकेत देती हैं—जैसे रायपुर को "7-स्टार गारबेज-फ्री" दर्जा मिलना। वर्तमान दौर में न्यायिक सुधार, पुलिस, शिकायत-निवारण तंत्र, "मेरी सरकार" पोर्टल जैसी नागरिक सहभागिता पहलों और एआई आधारित ई-कोर्ट जैसी योजनाओं ने यह स्पष्ट किया है कि सुशासन केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी से ही साकार होता है। इस प्रकार स्वतंत्रता से वर्तमान तक भारत में सुशासन का स्वरूप लगातार विकसित होता रहा है—जहाँ संविधानिक मूल्यों से लेकर डिजिटल तकनीक तक, और गाँव-स्तर के प्रशासन से लेकर वैश्विक सूचकांकों तक, सभी मिलकर यह तय कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक शासन कितनी गहराई तक नागरिक जीवन को प्रभावित करता है।

KEYWORDS:

सुशासन, भारतीय संविधान, पंचायती राज, प्रशासन गाँव की ओर, सूचना का अधिकार, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ई-गवर्नेंस, नागरिक सहभागिता, स्वच्छता सर्वेक्षण, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, लोक शिकायत निवारण, न्यायिक सुधार, डिजिटल इंडिया, मेरी सरकार पोर्टल, पारदर्शिता और जवाबदेही ।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
25th June 2025	30th June 2025

विषय-वस्तु

"सुशासन" का सीधा अर्थ है ऐसा शासन जो पारदर्शी , जवाबदेह, दक्ष और नागरिकों की सहभागिता पर आधारित हो। यह केवल सरकारी आदेशों या योजनाओं का संग्रह नहीं है , बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राज्य और जनता दोनों मिलकर समाज के समग्र विकास की दिशा तय करते हैं। भारतीय संदर्भ में सुशासन की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं और जनसंख्या बहुत बड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश को गरीबी, अशिक्षा, जातिगत असमानता, प्रशासनिक ढाँचे की जड़ता और संसाधनों की कमी जैसी अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा। ऐसे में यह अपेक्षा की गई कि शासन-प्रणाली केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित न रहकर नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने का माध्यम बने।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सुशासन के आठ मूल सिद्धांत बताए है ; सहभागिता, विधि का शासन , पारदर्शिता, जवाबदेही, सहमति आधारित निर्णय , समानता और समावेश , प्रभावशीलता और दक्षता, तथा उत्तरदायित्व। यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सभी पहलू समय-समय पर हमारी नीतियों और अभियानों में झलकते रहे।

स्वतंत्रता के बाद का प्रारंभिक दौर

संविधान और लोकतांत्रिक ढाँचा

26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत ने लोकतांत्रिक शासन की राह पकड़ी। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल अधिकारों को नागरिकों को सौंपा गया। अनुच्छेद 38 और 39 ने राज्य को सामाजिक न्याय और कल्याणकारी नीति अपनाने का दायित्व दिया।

योजनाबद्ध विकास

1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 1970 के दशक तक शासन की प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन , औद्योगिकीकरण और कृषि सुधार रही। उस दौर में सुशासन का अर्थ मुख्यतः "विकास प्रशासन" से था।

पंचायत और स्थानीय निकाय

1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने लोकतंत्र को गाँव और नगर स्तर तक पहुँचाया। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देकर स्थानीय स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की दिशा में यह मील का पत्थर साबित हुआ।

सुशासन के प्रमुख स्तंभ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम ने नागरिकों को यह अधिकार दिया कि वे शासन से सीधे सवाल कर सकें। यह पारदर्शिता का सबसे प्रभावी साधन है।

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, 2005-2009

इस आयोग ने कुल 15 रिपोर्टें दीं, जिनमें शासन में नैतिकता, सूचना का अधिकार: सुशासन

की मास्टर कुंजी और स्थानीय शासन जैसी रिपोर्टें प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण रहीं।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

इस अधिनियम के तहत् संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लि ए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये संस्थाएँ बिना किसी संवैधानिक स्थिति के वैधानिक निकाय हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया।

ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया

2014 के बाद "डिजिटल इंडिया" अभियान ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया। अब पासपोर्ट, बिजली बिल, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा जैसी सेवाएँ डिजिटल पोर्टल से मिलने लगीं , जिससे पारदर्शिता और नागरिक सुविधा बढ़ी।

सुशासन के मापन के प्रयास

गुड गवर्नेंस इंडेक्स

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी यह सूचकांक राज्यों की प्रशासनिक दक्षता को मापता है। 2021 में गुजरात और महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे , जबकि उत्तर प्रदेश ने 8.9% सुधार दिखाया। 2023 की रिपोर्ट भले ही न आई हो, लेकिन 2025 में इसे नए स्वरूप में जारी किया जाएगा।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक

भारत 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक(सीपीआई) में 96 वें स्थान पर है, जो 2023 में 93 वें स्थान से नीचे है , इसका स्कोर 38 है , जो 2023 में 39वें स्थान से कम है ।

सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स

नीति आयोग द्वारा जारी यह सूचकांक बताता है कि राज्य सामाजिक , आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों की दिशा में कहाँ खड़े हैं।

हालिया पहल और उपलब्धियाँ

प्रशासन गाँव की ओर अभियान, 2024

19 से 24 दिसंबर 2024 तक देशभर में 18,543 शिविर लगाए गए, जिनमें 10, 54, 013 शिकायतों का निवारण और 1.5 करोड़ से अधिक सेवा आवेदन निपटाए गए। यह पहल बताती है कि अब शासन नागरिकों के दरवाज़े तक पहुँच रहा है।

न्यायिक सुधार

ई-कोर्ट और एआई आधारित न्याय प्रणाली पर भी काम हो रहा है , जिससे न्याय तेज़ और सुलभ बने।

चुनौतियाँ

भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 2025 में ग्रेटर नोएडा में भूखंड आवंटन में नियमों की अनदेखी सामने आई।

न्यायिक देरी

देश में अभी भी 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।

डिजिटल असमानता

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी साधनों की कमी नागरिकों की समान भागीदारी में बाधा है।

मेरी सरकार पोर्टल

यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को नीतियों पर सुझाव देने और शिकायत दर्ज करने का अवसर देता है।

सामाजिक उत्तरदायित्व

सुशासन केवल सरकार का नहीं , बल्कि जनता का भी दायित्व है। सक्रिय नागरिकता और जागरूकता के बिना कोई शासन प्रभावी नहीं हो सकता।

सतत विकास लक्ष्य और 2047 का विज़न

भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए आवश्यक है कि शासन पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो।

निष्कर्ष

भारत में सुशासन की यात्रा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही प्रारंभ हो गई थी , जब संविधान निर्माताओं ने यह संकल्प लिया कि लोकतंत्र केवल सत्ता -परिवर्तन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह जनकल्याण और सामाजिक-आर्थिक न्याय की दिशा में कार्य करेगा। आजादी के शुरुआती दशकों में जहाँ शासन का जोर योजनाओं के माध्यम से विकास लाने पर था , वहीं 1990 के दशक के बाद पारदर्शिता , जवाबदेही और सहभागिता को शासन का मूलभूत हिस्सा बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। पिछले सात दशकों में भारत ने शासन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई संस्थागत और विधिक सुधा र किए। सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 ने जनता को शासन की कार्यप्रणाली पर नजर रखने का अधिकार दिया , 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाया, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम , 2013 ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया और डिजिटल इंडिया अभियान ने सरकारी सेवाओं को पारदर्शी व त्वरित रूप से नागरिकों तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया। ये सभी कदम इस बात का संकेत हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था समय के साथ बदलते हुए नागरिक अपेक्षाओं और वैश्विक मानकों के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करती रही है।

हाल के वर्षों में सुशासन का स्वरूप और अधिक व्यापक हुआ है। अब शासन केवल बुनियादी सेवाओं तक सीमित नहीं है , बल्कि इसमें सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, पर्यावरणीय संरक्षण, लैंगिक समानता , सामाजिक न्याय और डिजिटल समावेशन जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स और एसडीजी इंडिया इंडेक्स जैसे उपकरण राज्यों की प्रगति का तुलनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को प्रोत्सा हित कर रहे हैं। फिर भी यह कहना आवश्यक है कि सुशासन की दिशा में अभी कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। भ्रष्टाचार, न्यायिक देरी, प्रशासनिक क्षमता की कमी , और डिजिटल असमानता जैसे कारक शासन की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में नि यंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भूमि आवंटन से जुड़ी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्थागत तंत्र को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। न्यायपालिका में 4 करोड़ से अधिक मामलों का लंबित रहना नागरिकों के विश्वास को कमजोर करता है। इसी प्रकार , ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं तक पहुँच सीमित होने के कारण ई -गवर्नेंस की अवधारणा अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है।

इसके बावजूद , कई सकारात्मक पहलुओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। प्रशासन गाँव की ओर अभियान और स्वच्छता सर्वेक्षण जैसे अभियानों ने यह दिखाया है कि जब शासन सीधे जनता तक पहुँचता है और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है तो निश्चित परिणाम मिलते हैं। पुलिस शिकायत निवारण , ई-कोर्ट प्रणाली और नागरिक सहभागिता आधारित पोर्टल्स ने भी यह संकेत दिया है कि शासन और जनता के बी च की दूरी धीरे-धीरे कम हो रही है। भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुशासन की भूमिका निर्णायक होगी। यदि प्रशासनिक क्षमता बढ़ाई जाए , संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण किया जाए , तकनीकी असमानता को कम किया जाए और भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण लगाया जाए , तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक संरचना न रहकर वास्तव में "जन-जन के जीवन की गुणवत्ता सुधारने वाला तंत्र" बन सके।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय शासन व्यवस्था ने स्वतंत्र ता से लेकर वर्तमान तक सुशासन की दिशा में लंबी यात्रा तय की है। यह यात्रा चुनौतियों से भरी रही है, लेकिन सुधार और नवाचार के निरंतर प्रयासों ने इसे मजबूती प्रदान की है। भविष्य की राह में आवश्यक है कि शासन और जनता के बीच विश्वास का सेतु और अधिक मजबूत हो, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी और बढ़े तथा नीति -निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि रहे। तभी भारत का लोकतंत्र वास्तव में उस आदर्श की ओर अग्रसर होगा जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी – "जनता के लिए , जनता द्वारा और जनता का शासन।"

REFERENCES

1. मिश्रा, ए.के. (2016), भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था, जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।

2. सिंह, रणवीर (2019), भारतीय प्रशासन: सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष, अलीगढ़: विद्यार्थी प्रकाशन।

3. पांडेय, सुरेश (2020), सुशासन और लोक प्रशासन, वाराणसी: भारती प्रकाशन।

4. तिवारी, विजय (2017), भारत में पंचायती राज और स्थानीय शासन, लखनऊ: अवध पब्लिशिंग हाउस।

5. जोशी, मधुसूदन (2021). डिजिटल इंडिया और सुशासन, नई दिल्ली: राष्ट्रीय पुस्तक न्यास।

6. वर्मा, आर.के. (2015), लोक नीति और सुशासन भोपाल: मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।

7. प्रसाद, गोविंद (2019), भारतीय लोकतंत्र: उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ, पटना: राजकमल प्रकाशन।

8. चौधरी, सुनील (2022), न्यायपालिका और सुशासन, नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।

9. यादव, धर्मवीर (2023), भारत में लोक प्रशासन और ई-गवर्नेंस, जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय प्रकाशन।

10. दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टें (भारत सरकार, कार्मिक मंत्रालय, 2009)।

11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (हिंदी पाठ), भारत सरकार।

12. भारत सरकार नीति आयोग: सतत विकास लक्ष्य, भारत सूचकांक रिपोर्ट, 2022।

13. गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट, 2021 , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय।

14. स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2023, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय।

15. प्रशासन गाँव की ओर अभियान रिपोर्ट, 2024,राजस्थान सरकार।

16. भारत का संविधान (हिंदी संस्करण), भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय।